भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1227
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्तन कैंसर के मामले

1227. डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्रीमती डिम्पल यादव:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्तन कैंसर विश्व में कैंसर का सबसे आम प्रकार है और स्तन कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या के मामले में भारत का स्थान सबसे ऊंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्तन कैंसर के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्तन कैंसर के पुष्ट मामलों की औसत मृत्यु दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्तन कैंसर के उपचार के लिए सहायता और राज सहायता प्रदान करने का है ताकि रोगियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या स्तन कैंसर की सभी दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की तत्काल आवश्यकता है जैसा कि विगत में कुछ अन्य दवाओं के लिए किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, आईएआरसी-डब्ल्यूएचओ, 2022 के अनुसार, स्तन कैंसर विश्व स्तर पर कैंसर का सबसे आम प्रकार है, जिसमें वर्ष 2022 में महिलाओं की मृत्यु के 665255 अनुमानित मामले हैं। वर्ष 2022 में महिलाओं में स्तन कैंसर से होने वाली अनुमानित मौतों (98,337) की संख्या में भारत का स्थान सबसे ऊंचा है।

राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीडीआईआर) – राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के अनुसार, देश में (2019-2023) के दौरान स्तन कैंसर की घटनाओं की अनुमानित संख्या और मृत्यु दर की अनुमानित संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुलग्नक 1 और 2 में दी गई है।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उनकी संसाधन क्षमता के अध्यधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन के लिए जागरूकता सृजन और उचित स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र को रेफरल पर ध्यान केंद्रित करता है।

जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, एम्स जैसे केन्द्रीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर रोगियों का उपचार हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में प्रदत्त उपचार या तो नि:शुल्क है अथवा रियायती दर है।

केन्द्र सरकार विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या कैंसर सुविधा केन्द्र के सुदृढ़ीकरण की योजना कार्यान्वित करती है। उक्त योजना के अंतर्गत 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और 20 विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का दूसरा परिसर भी स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सभी नए एम्स और 13 उन्नयन किए गए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में भी कैंसर के उपचार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत, 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला स्कीम और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के अंतर्गत कैंसर सहित प्रमुख जानलेवा रोगों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपचार लागत के एक हिस्से की भरपाई के लिए एचएमडीजी के तहत अधिकतम 1,25,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और आरएएन की अम्ब्रेला योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है।

(च) और (छ): सभी वस्तुओं (दवाओं सहित) पर जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं। कैंसर की औषधियों सहित दवाओं पर जीएसटी पूर्व दर संरचना को ध्यान में रखते हुये 18% की मानक दर के मुकाबले 5 % या 12 % कम करके दर रखी गई है। अधिकांश जीवन रक्षक और महत्वपूर्ण दवाएं 5% कम जीएसटी दर पर हैं। इसके अलावा, शुल्क ढांचे में बदलाव के संबंध में जीएसटी परिषद की कोई सिफारिश नहीं है।

*****

अनुलग्नक-1

तालिका 1: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित घटनाएं - स्तन कैंसर (आईसीडी10: सी50) - (2019-2023) - महिलाएं					
राज्य	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
जम्मू और कश्मीर	1763	1812	1864	1915	1967
लद्दाख यूटी	36	37	38	39	40
हिमाचल प्रदेश	1310	1342	1374	1405	1437
पंजाब	6037	6192	6347	6507	6667
चंडीगढ़	161	168	172	176	180
उत्तरांचल	1678	1723	1768	1813	1859
हरियाणा	4225	4356	4487	4624	4761
दिल्ली	3373	3491	3609	3734	3859
राजस्थान	10312	10597	10889	11187	11488
उत्तर प्रदेश	27863	28573	29295	30032	30781
बिहार	14016	14388	14766	15157	15555
सिक्किम	32	33	34	36	36
अरुणाचल प्रदेश	70	71	72	75	76
नागालैंड	82	87	90	90	94
मणिपुर	165	170	176	183	191
मिजोरम	120	122	126	130	134
त्रिपुरा	161	167	171	174	179
मेघालय	88	89	92	94	96
असम	2806	2880	2956	3033	3109
पश्चिम बंगाल	15749	16155	16562	16975	17398
झारखंड	4880	5016	5160	5302	5448
उड़ीसा	7339	7508	7681	7857	8035
छत्तीसगढ़	4165	4274	4383	4498	4615
मध्य प्रदेश	11198	11501	11814	12135	12458
गुजरात	10350	10631	10920	11209	11506
दमन	30	32	33	33	33
दादरा और नागर हवेली	41	44	46	48	52
महाराष्ट्र	17736	18174	18619	19071	19530
तेलंगाना	7302	7491	7679	7872	8066
आंध्र प्रदेश	10930	11174	11421	11669	11921
कर्नाटक	13085	13427	13774	14126	14484
गोवा	274	277	285	293	297
लक्षद्वीप	14	14	14	14	14
केरल	8220	8382	8545	8709	8874
तमिलनाडु	14251	14659	15073	15499	15931
पुदुच्चेरी	288	297	308	320	332
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	68	70	71	74	76
कुल	**200218**	**205424**	**210714**	**216108**	**221579**

संदर्भ: राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट

तालिका 2: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित मृत्यु दर- स्तन कैंसर (आईसीडी10: सी50) - (2019-2023) - महिलाएं					
राज्य	2019	2020	2021	2022	2023
जम्मू और कश्मीर	656	674	694	712	732
लद्दाख यूटी	13	14	14	15	15
हिमाचल प्रदेश	487	499	511	523	535
पंजाब	2246	2303	2361	2421	2480
चंडीगढ़	60	62	64	65	67
उत्तरांचल	624	641	658	674	692
हरियाणा	1572	1620	1669	1720	1771
दिल्ली	1255	1299	1343	1389	1436
राजस्थान	3836	3942	4051	4162	4274
उत्तर प्रदेश	10365	10629	10898	11172	11451
बिहार	5214	5352	5493	5638	5786
सिक्किम	12	12	13	13	13
अरुणाचल प्रदेश	26	26	27	28	28
नागालैंड	31	32	33	33	35
मणिपुर	61	63	65	68	71
मिजोरम	45	45	47	48	50
त्रिपुरा	60	62	64	65	67
मेघालय	33	33	34	35	36
असम	1044	1071	1100	1128	1157
पश्चिम बंगाल	5859	6010	6161	6315	6472
झारखंड	1815	1866	1920	1972	2027
उड़ीसा	2730	2793	2857	2923	2989
छत्तीसगढ़	1549	1590	1630	1673	1717
मध्य प्रदेश	4166	4278	4395	4514	4634
गुजरात	3850	3955	4062	4170	4280
दमन	11	12	12	12	12
दादरा और नागर हवेली	15	16	17	18	19
महाराष्ट्र	6598	6761	6926	7094	7265
तेलंगाना	2716	2787	2857	2928	3001
आंध्र प्रदेश	4066	4157	4249	4341	4435
कर्नाटक	4868	4995	5124	5255	5388
गोवा	102	103	106	109	110
लक्षद्वीप	5	5	5	5	5
केरल	3058	3118	3179	3240	3301
तमिलनाडु	5301	5453	5607	5765	5926
पुदुच्चेरी	107	110	115	119	124
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25	26	26	28	28
कुल	**74481**	**76414**	**78387**	**80390**	**82429**

संदर्भ: राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट

*****